


HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. C/4465/
III-6-4/2010 NIA Act

Jabalpur, dated 05/10/2019

The Notification of the Government of M.P., Department of Law and Legislative Affairs F.No. 17(E)44/2013/21-B(1)/4657/2019, u/s 22(1) of NIA Act 2008 of District Guna and Mandasaur is forwarded to;

1. Registrar Cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. District and Sessions Judges for information and necessary action .
5. The Joint Registrar (Protocal), High Court of M.P., Jabalpur for information,
6. The Joint Registrar, Confidential and the Section Officer, Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information ,
7. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.


(B.P. SHARMA)
REGISTRAR (D.E.)
5/10/19

:-:



8410

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 01/10/2019

फा.क्रमांक 17(ई) 44/2013/21-ब(एक)/4657/19.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,

1. सारणी में, अनुक्रमांक 13 एवं 22 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:-

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
13.	गुना	श्री अशवाक अहमद खान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.
22.	मंदसौर	श्री इन्द्रजीत रघुवंशी, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर."

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-No. 17(E)/44/2013/21-B(One)4657/2019.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government, hereby, makes the following further amendment in this department notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification,

1. In the table, for serial number 13 and 22 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
13.	Guna	Shri Ashwaq Ahmed Khan, Ist Additional sessions Judge, Guna.
22.	Mandsaur	Shri Indrajeet Raghwanishi, Vth Additional sessions Judge, Mandsaur."

01 OCT 2019
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
Regy. (D.E.)

sol ch.
yf
03/10/19

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र० 17(ई) 44 / 2013 / 21-ब(एक)4657 / 2019, भोपाल, दिनांक ११/१०/ 2019
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक D/5966/III-6-4/10, दिनांक 16.09.2019 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना एवं मंदसौर म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल,
की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग